

न्यायालय-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी जिला अशोकनगर(म0प्र0)
पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद

व्यवहारवाद कमांक-35ए/2016
 संस्थित दिनांक- 30.07.2014

1.	हरीसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति लोधी आयु 65 साल पेशा खेती निवासी ग्राम चकछपरा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
2.	श्रीमती बबीता पुत्री जयराम पत्नी रामसेवक जाति लोधी आयु 24 साल पेशा खेती निवासी ग्राम चकछपरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
3.	प्रतिपालसिंह पुत्र हरीसिंह जाति लोधी आयु 38 साल पेशा खेती निवासी ग्राम चकछपरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
4.	देवेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति लोधी आयु 28 साल पेशा खेती निवासी ग्राम चकछपरा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
वादीगण
	बनाम
1.	जानकी पुत्र गोरेलाल जाति काछी आयु 45 साल
2.	दुर्जनियाबाई पत्नी जानकी काछी आयु 40 साल
3.	भगवत सिंह पुत्र जानकी काछी आयु 24 साल
4.	संगीता पत्नी भगवत जाति काछी आयु 21 साल
5.	बादाल सिंह पुत्र गणेशराम लोधी आयु 25 साल
6.	सुरेश पुत्र बादाल सिंह जाति लोधी आयु 25 साल सभी का पेशा खेती सभी निवासीगण ग्राम चकछपरा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
प्रतिवादीगण
7.	म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0
 फार्मल प्रतिवादी

-----:: / / निर्णय / / ::-----

{आज दिनांक:- 30.01.2017 को घोषित किया गया}

01— यह दावा वादीगण की ओर से ग्राम चक छपरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 344 रकबा 1.045 है० भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसका वादपत्र के साथ नक्शा संलग्न होकर विवादग्रस्त भूमि है जिसे लाल स्याही से अ, ब, स, द भाग से चिन्हित किया गया है, पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, रिक्त आधिपत्य प्राप्ति एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने एवं अर्तलाभधन दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम चक छपरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 344 रकबा 1.045 है० भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से अ, ब, स, द भाग से चिन्हित किया गया है के वादीगण स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण के संयुक्तकर्ता खानदान की शामिलाली भूमि है। वादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की जानकारी में शांतिपूर्वक काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं तथा विवादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है न ही कभी रहा है। वादीगण की भूमि के पास में प्रतिवादीगण की भूमि लगी हुई है तथा प्रतिवादीगण वादीगण को परेशान करते है। वादीगण ने तहसील चंदेरी से प्र०क्र० 33अ12/13-14 द्वारा विधिवत दिनांक 09.06.2014 को प्रतिवादीगण की जानकारी में अपनी भूमि का सीमांकन कराया। उक्त सीमांकन प्रतिवादीगण एवं अन्य पंचो की उपस्थिति में हुआ था।

03— वादीगण की ग्राम में देवीसिंह बगैरा से भूमि की रंजिश चल रही है तथा देवीसिंह बगैरा ने प्रतिवादीगण को बरगला दिया है। प्रतिवादीगण जबरन एक राय होकर वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने को अमादा हो गये है तथा दिनांक 23.06.2014 को वादीगण विवादग्रस्त भूमि को जोत रहे थे तो प्रतिवादीगण एक राय होकर आए और वादीगण को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे तथा प्रतिवादीगण क्र० 2 हसिया लेकर ट्रेक्टर के आगे आ गई व कहने लगी कि कब्जा छोड़ो तथा विवादग्रस्त भूमि को सभी लोग उनकी बतलाने लगे एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि विवादग्रस्त भूमि से तुम कब्जा छोड़ो हम कब्जा करेंगे तथा प्रतिवादीगण झगडा करने

को अमादा हैं वादीगण के द्वारा थाना चंदेरी, पुलिस अधीक्षक महोदय, व अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी को आवेदन भी दिये किन्तु प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने से उनके हौसले बुलंद है तथा प्रतिवादीगण वादीगण को धमकी देते है कि यदि खेत नहीं छोडोगे तो हम किसी गंभीर केस में झुठा फसा देगे। वादीगण को प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाया जाये एवं क्षतिपुर्ति अन्तरलाभ धन बीस हजार रुपये कब्जा करने के दिनांक से मिलने की दिनांक तक प्रतिवर्ष के हिसाब से दिलाया जावे।

04— वाद कारण दिनांक 23.06.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादग्रस्त भूमि पर आकर कब्जा करने की धमकी देने व वादीगण के स्वत्वों को नकारने एवं विवादग्रस्त भूमि अपने स्वत्व की बतलाने के कारण तथा दिनांक 19.09.2014 को जबरन कब्जा करने के कारण उत्पन्न हुआ है। वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम चक छपरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 344 रकबा 1.045 है० भूमि पर वादीगण द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, कब्जा वापसी एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने एवं अन्तरलाभ दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

05— प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 की ओर से जबाबदावे में व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व परिपत्रों में वादीगण के नाम है एवं इस भूमि पर वादीगण ने उडदा एवं सोयाबिन की फसल बोई है। उक्त विवादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई मतलब नहीं है। विवादग्रस्त भूमि से लगकर प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 की भूमि सर्वे क्र० 348/1 रकबा 1.669 है० एवं प्रतिवादी क्र० 5 व 6 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्र० 342 रकबा 1.129 है० भूमि लगी हुई है। उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि से लगी हुई है जो कि प्रतिवादी बादल सिंह के पिता गणेशराम के नाम पर है जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण अपने-अपने भूमियों पर पुश्तैनी रूप से काविज होकर कास्त कर रहे है। वादीगण अपनी भूमि की आड में प्रतिवादीगण की भूमि पर एवं शासकीय भूमि सर्वे क्र० 345 पर कब्जा करना चाहते है जबकि वादीगण उनकी 5 बीघा भूमि पर कब्जा किये हुए हैं। वादीगण द्वारा चोरी छुपे प्रतिवादीगण को सूचना दिये बगैर सीमांकन कराया हैं।

06— वादीगण की देवीसिंह बगैरा से रंजिश चल रही है अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है तथा प्रतिवादीगण वादीगण की

किसी भी भूमि पर कब्जा करने को अमादा नहीं है तथा प्रतिवादीगण ने दिनांक 23.06.14 को वादीगण को कोई गालियां नहीं दी और न ही प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा यदि प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई रिपोर्ट या शिकायत की हो तो वह वाद प्रस्तुति हेतु आधार बनाने के लिये असत्य आधारों पर की गई है। किसी कारण से उन शिकायतों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की किसी भी पर दिनांक 19.09.2014 को कब्जा नहीं किया है ऐसी स्थिति में वादीगण बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से क्षतिपूर्ति अन्तरलाभ धन प्राप्त करने एवं कब्जा प्राप्त के अधिकारी नहीं है।

07— वाद कारण दिनांक 23.06.14 अथवा किसी भी स्थान पर उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद में मुख्यतः सीमांकन संबंधी विवाद है जिसकी अनन्य अधिकारिता राजस्व न्यायालय को है तथा सीमांकन संबंधी विवाद होने के कारण म0प्र0शासन आवश्यक पक्षकार है एवं म0प्र0शासन को आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने से व वादीगण का यह वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में सीमांकन होने के उपरान्त विवाद होना बताया है। इस कारण वादी का वाद अवधि बाह्य होने से निरस्त योग्य है। अतः वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

08— प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 7 म.प्र.शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। प्रतिवादी क्र. 7 को समंस की तामीली के उपरान्त अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

09— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या वादीगण ग्राम चक छपरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 344 रकबा 1.045 हेक्टेयर भूमि के वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार लाल स्याही से चिह्नित अ, ब, स, द, भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित
2	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित

3	क्या इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवण अधिकार है ?	प्रमाणित
4	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं
5.	सहायता एवं व्यय	पैरा 21 के अनुसार अंशतः डिक्री
6.	क्या वादीगण प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
7.	क्या वादीगण प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की दिनांक से कब्जा प्राप्त होने तक 20,000/- रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से क्षतिपूर्ति अर्तलाभ धन प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क्र० 1 व 6 :-

10— वाद प्रश्न क्र० 1 व 6 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादप्रश्न क्र० 1 को साबित करने का भार वादी में निहित है। हरिसिंह वा०सा०1 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में बताया कि वह प्रतिवादीगण जानकी, दुर्जनीया, भगवत सिंह, संगीता आदि को जानता है तथा वादी बबीता उसकी भतीजी है एवं वादी प्रतिपाल, देवेन्द्र उसके पुत्र है। वाद ग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 344, रकबा 1.045 है० स्थित ग्राम छपरा में वादीगण की है, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द, भाग से चिह्नित किया गया है। लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया था जिसके संबंध में वादीगण द्वारा रिपोर्ट करने पर कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में दावा किया गया। न्यायालय द्वारा स्टे दिये जाने के बाद भी पिछले वर्ष कुंआर के महीने में वादीगण द्वारा बोई हुई उड़द की फसल कीमतन लगभग 20 हजार रुपये काट ली और तभी से प्रतिवादीगण कब्जा किये हुए है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में चालीराजा व०सा०3 एवं प्रतिपाल सिंह व०सा०4 ने भी समर्थन किया है। जबकि प्रतिवादीगण ने उनके मुख्य परीक्षण एवं जबाब दावे में इस बात

से इंकार किया है कि उन्होंने वादीगण की किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया है।

11— वादी द्वारा उसके पक्ष समर्थन में खसरा वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.1, सीमांकन रिपोर्ट प्र0पी2, पंचनामा प्र.पी.3, सीमांकन रसीद प्र.पी.4 प्रस्तुत किया है। वादीगण का यह भी अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 344 रकवा 1.045 है0 उसके स्वामित्व की है जिसके संबंध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.1, सीमांकन रिपोर्ट प्र0पी2, पंचनामा प्र.पी.3, सीमांकन रसीद प्र.पी.4 का अवलोकन करने से उक्त विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 344 रकवा 1.045 है0 वादीगण के नाम पर दर्ज है तथा सीमांकन संबंधी रिपोर्ट प्र.पी. 2, पंचनामा प्र.पी.3, रसीद प्र.पी. 4, के अवलोकन से भी उक्त विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन वादी प्रतिपाल सिंह द्वारा किया जाना दर्शित है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उनके जबाब दावे, में व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 344 रकवा 1.045 है0 भूमि राजस्व परिपत्रों में वादीगण के नाम है।

12— वादीगण ने व्यक्त किया कि उन्होंने विवादग्रस्त भूमि पर उडदा एवं सोयाबीन की फसल बोई है तथा प्रतिवादीगण जानकी एवं देवी सिंह ने उनके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह व्यक्त किया कि वादीगण की भूमि से लगकर उनकी पुस्तैनी भूमि है जिनपर वह काबिल होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा उनके जबाब दावे में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व परिपत्रों में वादीगण के नाम उल्लेखित है। प्रतिवादीगण की ओर प्र.डी.1 एवं 2 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जोकि विवादग्रस्त भूमि से संबंधित न होकर सर्वे क्र0 342 रकवा 1.129 है0, एवं सर्वे क्र0 185/1 रकवा 0.070, सर्वे क्र0 348/1 रकवा 1.669 है0 जिनसे प्रतिवादीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के स्वामी है।

13— हरिसिंह वा0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में लेख किया कि न्यायालय से स्टे के बाद भी प्रतिवादीगण ने पिछले वर्ष कुंआर के माह में उसके द्वारा बोई हुई उडदा की फसल काट ली एवं विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि के ढाई बीघा पर जानकी एवं बादल सिंह काबिज होकर खेती कर रहे हैं एवं यह भी व्यक्त किया कि जिस समय प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 6 ने विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा किया था उस समय

मिट्टूआ बरार मौजूद था। हरिसिंह ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादीगण ने कब्जा किया है तथा प्रतिवादीगण की ओर से इस सुझाब से इंकार किया है कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं किया है। वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी मिट्टू उर्फ मिट्टूआ ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर उसके सामने कब्जा नहीं किया है।

14— चार्लीराजा वा०सा०3 ने भी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रतिपाल एवं हरिसिंह उनकी ढाई बीघा जमीन जोत रहे हैं। प्रतिपाल सिंह वा०सा०4 ने उसके प्रतिपरीक्षण में भी व्यक्त किया कि उसने विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन इसलिये कराया था कि प्रतिवादीगण विवाद करते थे तथा प्रतिवादीगण के इस सुझाब से भी इंकार किया कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 पहले जितनी भूमि पर खेती करते थे उतनी ही भूमि पर आज भी खेती करते हैं। साक्षी ने स्वतः कहा कि प्रतिवादीगण उनकी ढाई बीघा भूमि पर ज्यादा खेती कर रहे हैं एवं सभी प्रतिवादीगण मिलकर खेती कर रहे हैं। जबकि प्रतिवादी जानकी एवं प्रतिवादी साक्षी देवीसिंह एवं बुद्धा ने उनके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र एवं प्रतिपरीक्षण में वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने से इंकार किया है।

15— वादी की ओर से प्रस्तुत दावे में वादीगण द्वारा संशोधन के माध्यम से दावे में यह समाहित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.09.14 को विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया है। किन्तु वादीगण द्वारा उनके द्वारा किये गये संशोधन में यह व्यक्त नहीं किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उनकी कितनी भूमि पर और वादग्रस्त भूमि के किस भाग व किस दिशा में कब्जा किया है। हरिसिंह वा०सा०1, मिट्टूआ वा०सा०2, चार्ली राजा वा०सा०3, प्रतिपाल सिंह वा०सा०4 ने उनके मुख्य परीक्षण में यह लेख किया है कि प्रतिवादीगण पिछले वर्ष कुंआर के माह में वादीगण द्वारा बोई गई उडद की फसल कीमतन लगभग 20 हजार रुपये काट ली, तभी से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किये हुए हैं। तर्क के लिये यदि यह मान भी लिया जावे कि प्रतिवादीगण द्वारा कुंआर के माह में वादग्रस्त भूमि पर उगी हुई उडद की फसल को प्रतिवादीगण ने काट लिया था, तब इस संबंध में वादीगण द्वारा फसल काट कर ले जाने की चोरी के संबंध में कोई रिपोर्ट थाने पर या अन्य कोई कार्यवाही वादीगण द्वारा की गई हो, ऐसी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

16— वादीगण का यह कहना है कि प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने के समय मिठूआ मौजूद था। किन्तु वादी साक्षी मिठूआ द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया कि प्रतिवादीगण ने उसके समक्ष वादीगण की भूमि पर कब्जा किया है। प्रतिपाल सिंह वा0सा04 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में यह बताया कि सीमाकंन के समय उनकी 2 ढाई बीघा जमीन प्रतिवादीगण की भूमि में निकली थी। जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत सीमाकंन रिपोर्ट प्र.पी.2, पंचनामा प्र.पी.3, एवं सीमाकंन रसीद प्र.पी. 4 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वादग्रस्त भूमि के सीमाकंन के समय वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण की भूमि में निकली हो। इस प्रकार उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किया है। अतः **वादप्रश्न क0 1 का निराकरण प्रमाणित** के रूप में किया जाता है। जहां कि उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण में जबकि यह प्रमाणित है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तब यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है, तब **वादप्रश्न क0 6 का निराकरण प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 2:—

17— वादीगण का यह कहना है कि प्रतिवादी क0 1 लगायत 6 उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की विवादग्रस्त भूमि में कब्जा करने हेतु प्रयासरत है। जिसके संबंध में वादीगण ने प्र.पी. 6 लगायत 8 के दस्तावेज जोकि पुलिस अधीक्षक अशोकनगर, एसडीएम चंदेरी, थाना प्रभारी चंदेरी को दिये थे तथा चार्ली राजा वा0सा03 ने भी उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में प्रतिवादीगण के इस सुझाब को सही बताया है कि नप्ती के बाद एक बार वादी व प्रतिवादीगण के बीच विवाद हुआ था। प्र.पी. 6 लगायत 8 के दस्तावेजों का अवलोकन करने से दर्शित है कि उक्त आवेदन पत्रों में वादीगण की ओर से विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में उल्लेख किया है तथा स्वयं प्रतिवादीगण ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि से लगकर उनकी भी भूमि है। इस प्रकार वादीगण के अभिवचन एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसलिये वादीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है। अतः **वादप्रश्न क0 2 का निराकरण प्रमाणित** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 3:-

18- प्रतिवादी क0 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे एवं लेखिये बहस में बताया गया है कि प्रकरण में सीमांकन से संबंधित विवाद है जिसको निराकृत करने का सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार धारा 257 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत नहीं है। इस संबंध में वादी की ओर से खण्डन स्वरूप कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। किन्तु प्रकरण का अवलोकन करने से दर्शित है कि वादीगण की ओर से यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध सर्वे क0 344 रकवा 1.045 है0 के स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, आधिपत्य प्राप्ति एवं क्षतिपूर्ति अन्तरलाभ धन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा **रामगोपाल कन्हैयालाल वि0 छेतू वट्टे ए.आई.आर. 1976 एमपी160 एवं नाथू विरुद्ध दिल बंदे हुसैन ए.आई.आर 1967 एमपी 14** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वत्व के आधार पर पक्षकार द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में जबकि वादीगण द्वारा वर्तमान वाद स्वत्व घोषणा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तब उक्त बात म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 257 के प्रावधानों के आलोक में वर्तमान न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अतः **वाद प्रश्न क0 3 का निराकरण प्रमाणित** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 4:-

19- प्रतिवादीगण क0 1 लगायत 6 की ओर से उनके जबाब दावे में एवं लेखी बहस में बताया कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है क्योंकि वादी द्वारा उसके दावे में वादग्रस्त भूमि पर सीमांकन के उपरांत 25.07.2014 का मिथ्या वाद कारण लेख किया है और वास्तविक कारणों को छुपाया है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है। किन्तु वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावे के पैरा 5 में वाद कारण दिनांक 23.06.2014 को होना व्यक्त किया है तर्क के दौरान भी वादी ने स्पष्ट किया है कि वाद कारण दिनांक 23.06.2014 को उत्पन्न होने से वाद अवधि बाह्य होना प्रकट नहीं है क्योंकि घोषणा हेतु वाद परिसीमा अधिनियम के सूची क्रमांक 58 के अनुसार वाद कारण दिनांक से 03 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है और वादी द्वारा उक्त समयावधि में ही अर्थात् दिनांक 26.07.14 को ही वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था जिससे उक्त वाद समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। अतः **वाद प्रश्न क्रमांक 4 का निराकरण "प्रमाणित नहीं"** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 7:-

20- वादीगण द्वारा उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में बताया कि प्रतिवादीगण ने विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया है जिससे वादीगण को 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से नुकसान हो रहा है, इसलिये कब्जा वापसी दिनांक तक 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से नुकसान दिलाया जाए। किन्तु वादीगण उपर किये गये विशलेषण अनुसार यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है तथा वादीगण को विवादग्रस्त भूमि से उन्हें 20 हजार रुपये सालाना की आय किस प्रकार से प्राप्त होती थी, इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण का उक्त विवादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में केवल वादीगण द्वारा उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह व्यक्त कर देने से कि प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्ति दिनांक तक अन्तरवर्ती लाभ के रूप में 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रतिवादीगण से दिलाया जाना प्रमाणित न होने से वाद प्रश्न क्र० 7 का निराकरण **“प्रमाणित नहीं”** के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्र० 5:-**सहायता एवं व्यय**

21- उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विशलेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अंशतः अपना वाद प्रमाणित करने के सफल रहे हैं। फलतः वादीगण का वाद अंशतः स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1.	यह घोषित किया जाता है कि वादीगण ग्राम चक छपरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 344 रकबा 1.045 हेक्टेयर भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है।
2.	प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 को वादीगण के हक व आधिपत्य की उक्त विवादग्रस्त भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से अवैधानिक रूप से आधिपत्य करने व बाधा उत्पन्न करने से निषेधित किया जाता है।

22- प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

23— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज़प्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
दिनांकित घोषित कर किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0